राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे–III 12696-701 दिनांक :– 3-2

आदेश संख्या 187/2015–16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में श्री लक्ष्मण राम कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नं. 98/1992) लिंक नं. 3231, जिनकी कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियुक्ति तिथी 29.06.1995 है तथा जिन्होनें कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा दिनांक 29.06.2013 को पूर्ण कर ली है, को दिनांक 29.06.2013 से कनिष्ठ लेखाकार पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) पे–बेण्ड–2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4200/– स्वीकृत की जाती है तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88) वित्त(नियम) 2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे 4800/– स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार के गत सात वर्ष की अवधि में वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जाने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जावेगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतन मान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व की अवधि में कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे–III 12696-701 दिनांक :– 3-2-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री लक्ष्मण राम, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)/एपीएआर शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भविष्य में प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जाती है, तो उनके प्रकरण पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)

कमरा नं. 310, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान,, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर, राजस्थान

(D:\S.A.S-III\S.A.S - 03\2016\Kailashji\ORDERS.docx)